

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 228/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कंवरोदेवी पत्नि खीमसिंह उम 68 वर्ष जाति पुरोहित निवासी बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. खंगारसिंह पुत्र शंकरसिंह उम्र 45 वर्ष 2. चौथीकंवर पत्नि शंकरसिंह उम्र 65 वर्ष 3. खीमसिंह पुत्र देवीसिंह उम्र 65 वर्ष 4. दुर्गसिंह पुत्र देवीसिंह उम्र 82 वर्ष 5. भूरसिंह पुत्र देवीसिंह उम्र 55 वर्ष 6. मगसिंह पुत्र देवीसिंह उम्र 70 वर्ष 7. मन्शासिंह पुत्र देवीसिंह उम्र 48 वर्ष जातियान पुरोहित निवासी बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 8. अनेकंवर पत्नि सांगसिंह उम्र 46 वर्ष 9. अनोपसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 62 वर्ष 10. दीपसिंह पुत्र जुझारसिंह उम्र 52 वर्ष 11. भवसिंह पुत्र समर्थसिंह उम्र 63 वर्ष 12. विमलाकंवर पत्नि नरपतसिंह उम्र 35 वर्ष 13. वीरसिंह पुत्र जालमसिंह उम्र 32 वर्ष 14. सुआकंवर पत्नि भीमसिंह उम्र 42 वर्ष 15. संग्रामसिंह पुत्र जुझारसिंह उम्र 48 वर्ष 16. सरूपकंवर पत्नि केसरसिंह उम्र 82 वर्ष 17. सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 62 वर्ष जातियान राजपूत निवासी बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 18. चेतनराम पुत्र गोमाराम उम्र 51 वर्ष 19. बाबुराम पुत्र गोमाराम उम्र 60 वर्ष 20. भूरी पत्नि गोमाराम उम्र 81 वर्ष 21. वनुदेवी पत्नि भूराराम उम्र 78 वर्ष जातियान जाट निवासी बावड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 22. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

न्यायालय
सिणधरी

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 24.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा बावड़ी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 21 3 रकबा 1.2297 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा बावड़ी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 21/3 रकबा 1.2297 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा बावड़ी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 21/3 रकबा 1.2297 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा बावड़ी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 21/3 रकबा 1.2297 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा बावड़ी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 21/3 रकबा 1.2297 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता

अधिवक्ता
महाराष्ट्र अधिवक्ता
दिल्ली

5 कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बावड़ी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 21/3 रकबा 1.2297 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


(वीरमराम)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी